न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नैनवॉ जिला बून्दी(राज0)

वाद-पत्र संख्या :-46 / 2015 दायर दिनांक: 15.04.2015

GCMS NO:- 2015/00155

पीठासीन अधिकारी :-श्योराम (आर.ए.एस.)

राजस्थान सरकार जर्ये भूमिधारी तहसीलदार नैनवां

– वादी

बनाम

1. श्री प्रेमशंकर चतुर्वेदी आईएलआर से.नि. निवासी देई।
2. श्री राकेश कुमार आ0 नाथूलाल निवासी नैनवां।
3. श्री सुरेन्द्र कुमार आ0 रमेश कुमार निवासी नैनवां।
4. श्री भैरू प्रकाश आ0 राजमल निवासी नैनवां
5. श्री मनीष आ0 मोहनलाल निवासी नैनवां
6. श्री पुखराज आ0 भंवरलाल ओसवाल जाति महाजन निवासी नैनवां
7. श्री भगवती देवी पत्नी मुकेश कुमार ब्राम्हण निवासी नैनवां
8. श्री नन्दकिशोर , श्री ललित कुमार, श्री राजेन्द्र कुमार, श्री नरेन्द्र कुमार पि0 उच्छबलाल निवासी नैनवां
9. श्री राधेश्याम पि0 रामनिवास कुम्हार निवासी नैनवां

––प्रतिवादीगण

वाद पत्रः– अंतर्गत धारा 60 एल आर एक्ट एवं 131,136 एल.आर एक्ट 1956

उपस्थितिः–

वादी की ओर से पैरोकार सरकार तहसीलदार नैनवां।

प्रतिवादी के अभिभाषक श्री सूर्य कुमार जैन, श्री सत्यनारायण लवानिया आदि।

निर्णय दिनांक 18.08.2021

संक्षेप में वाद का कथन इस प्रकार है कि ग्राम/कस्बा नैनवां प्रथम में भूमि खसरा संख्या 6071/5355 रकबा 02–10 बीघा स्थित है। यह कि उक्त भूमि दिनांक 16.6.72 को आंवटी रामनिवास आ0 नारायण कुम्हार निवासी नैनवां को आवंटित हुई थी। इस भूमि के वर्तमान खातेदार अप्रार्थी संख्या 3 है। यह कि आवंटित भूमि खसरा सं0 5355/1 रकबा 02–10 बीघा भूमि की तरमीम आईएलआर द्वारा की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेशों के विपरीत सड़क के किनारे की गई है। उक्त तरमीम आंवटन आदेशों में अंकित कब्जा रिपोर्ट के विपरीत की गई है। यह कि उक्त तरमीम आवंटन आदेश के विपरीत सड़क के समीप होने के कारण निरस्तनीय है। यह तरमीम कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम 1970 के नियम 4(v) च के विरूद्ध है अतः कृपया ग्राम/कस्बा नैनवां प्रथम की भूमि खसरा सं. 5355/1 रकबा नया नम्बर 6071/5355 में की गई तरमीम निरस्त करने के आदेश फरमावे। वादी ने अपने वाद के समर्थन में जमाबन्दीयां, नकल नक्शा ट्रेस, गिरदावरी की नकल एवं नामान्तकरण पंजिका की फोटोप्रति आदि पेश किये।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को सुनवाई हेतु तलब किया गया। आदेशिका दिनांक 27.09.2017 में इस वाद पत्र को प्रार्थना पत्र के रूप में सुने जाने के आदेश दिये गए। अप्रार्थी संख्या 4 ने अपने जवाव दावा में निवेदन किया कि खसरा संख्या 5355 रकबा 02–10 बीघा भूमि वाके

उपखण्ड अधिकारी नैनवॉ (बून्दी)

कस्बा नैनवां आवंटन सलाहकार समिति मु. नैनवां द्वारा दिनांक 16.61972 को रामनिवास आ0 नारायण कुम्हार निवासी नैनवां को नियमानुसार आवंटित हुई थी। जिसे नियमानुसार आवंटित भूमि पर दखल दिया गया था। आवंटन के पश्चात् उसे आवंटित भूमि पर गैरखातेदारी अधिकार दिये गये और उसके वाद खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये। इसके बाद जर्ये पंजीकृत विक्रय पत्र से विधिवत खरीद कर कब्जा प्राप्त कर उक्त भूमि पर काबिज रहकर प्रतिवादीगण उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे है। यह कि 1972 में कोई सडक नही थी। आवंटित एवं कब्जा शुदा भूमि के पास कालान्तर में सडक निकली तो उससे आवंटन शुदा भूमि का कब्जा परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। वकील प्रतिवादी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि उक्त दावा पेश करते समय वादी द्वारा विभिन्न सीपीसी नियमों की पालना नही की है। आदेश 04 नियम 1 के अनुसार वादी को अपना वाद पत्र नियमानुसार दो प्रतियों में पेश करना आवश्यक है। आदेश 07 नियम 11 ई के अनुसार वादी द्वारा वाद दो प्रतियों में पेश नही किया जाता है तो वाद खारिज किया जायेगा। आदेश 6 नियम 15 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार वादी ने वाद का सत्यापन नही किया है, जिससे भी वाद खारिज होने योग्य है। वादी ने अपने वाद के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश नही किये है, जिससे वादी का वाद सिद्ध नही होने के कारण खारिज होने योग्य है।

आदेश

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद विधिसम्मत नही होने से खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18.08.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
नैनवां
नैनवां (बून्दी)